भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3526

सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक)

ई-श्रम प्लेटफॉर्म में सुधार

3526. श्री मुकेश राजपूत:
श्री प्रवीण पटेल:
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
डॉ. लता वानखेड़े:
श्री हरीभाई पटेल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ई-श्रम पोर्टल को वन-स्टॉप समाधान के रूप में उन्नत करके प्रभावी बनाया है;

(ख) अब तक उक्त पोर्टल में कौन-कौन सी नई सुविधाएँ एकीकृत की गई हैं;

(ग) ई-श्रम पोर्टल के साथ एकीकृत सरकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ई-श्रम पोर्टल पर राज्य-विशिष्ट माइक्रोसाइटें शुरू की गई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ई-श्रम पोर्टल पर प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर्स के लिए कोई अलग मॉड्यूल उपलब्ध है;

(च) अब तक पोर्टल पर पंजीकृत एग्रीगेटर्स की संख्या कितनी है;

(छ) क्या उक्त एग्रीगेटर्स ने अपने प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया है; और

(ज) यदि हाँ, तो उत्तर गुजरात और मेहसाणा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और लिंग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ज): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आधार से जुड़े असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने हेतु दिनांक 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारंभ किया। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण और समर्थन करना है।

दिनांक 5 अगस्त 2025 तक की स्थिति के अनुसार, 30.98 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कर चुके हैं।

असंगठित कामगारों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने हेतु ई-श्रम को "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" के रूप में विकसित करने के संबंध में बजट घोषणा, वर्ष 2024-25 के विज़न को ध्यान में रखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप- सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया। ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकृत किया गया है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को ई-श्रम के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच बनाने और अब तक उठाए गए लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

जारी..2/-

अब तक, ई-श्रम कार्डधारकों को लाभ पहुंचाने और सामाजिक सुरक्षा, बीमा अथवा कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं को पहले ही ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है जिसमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-केएमवाई), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) शामिल हैं।

उपर्युक्त योजनाओं के अलावा, ई-श्रम को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम), राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध), नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग), डिजिटल लॉकर (डिजिलॉकर), माईस्कीम और ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म (ओजीडी) के साथ भी एकीकृत किया गया है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 29 जनवरी 2025 को राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों हेतु माइक्रोसाइट का शुभारंभ किया ताकि उन्हें अपनी समर्पित ई-श्रम माइक्रोसाइट के साथ सशक्त बनाया जा सके और वे विशिष्ट स्थानीय आवश्यकताओं और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकें। ये माइक्रोसाइटें ई-श्रम सेवाओं को राज्य/ संघ राज्यक्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने, कामगार पंजीकरण को सरल बनाने, डेटा अपडेट करने, सत्यापन करने और राज्य-विशिष्ट विश्लेषण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

मंत्रालय ने ई-श्रम पर प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर्स को शामिल करने हेतु दिनांक 12 दिसंबर 2024 को प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर मॉड्यूल का शुभारंभ किया है। यह पहल इन एग्रीगेटर्स को ई-श्रम इकोसिस्टम में एकीकृत करती है, जो प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स की औपचारिक मान्यता और सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चित करती है, जिससे समावेशी और न्यायसंगत श्रम कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिलता है। अब तक प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर मॉड्यूल पर 12 प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर्स शामिल हो चुके हैं, जिनमें ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, अर्बन कंपनी, उबर, ओला, अमेज़न, स्विगी, रैपिडो, ज़ेप्टो, ईकॉम एक्सप्रेस और अंकल डिलीवरी शामिल हैं।

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत गुजरात राज्य में प्लेटफॉर्म कामगारों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और महिला-पुरुष वार पंजीकरण संबंधी ब्यौरा अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिया गया है।

**

अनुबंध-I

"ई-श्रम प्लेटफॉर्म में सुधार" के संबंध में दिनांक 11.08.2025 के पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3526 के भाग (क) से (ज) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 05.08.2025 तक ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत प्लेटफॉर्म कामगारों का राज्यवार ब्यौरा।

क्र. सं	**राज्य का नाम**	**कुल**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	114
2	आंध्र प्रदेश	26,690
3	अरुणाचल प्रदेश	380
4	असम	15,614
5	बिहार	16,043
6	चंडीगढ़	439
7	छत्तीसगढ	2,706
8	दिल्ली	11,016
9	गोवा	683
10	गुजरात	18,764
11	हरियाणा	7,277
12	हिमाचल प्रदेश	816
13	जम्मू और कश्मीर	1,630
14	झारखंड	6,204
15	कर्नाटक	13,553
16	केरल	5,761
17	लद्दाख	29
18	लक्षद्वीप	3
19	मध्य प्रदेश	14,050
20	महाराष्ट्र	80,332
21	मणिपुर	431
22	मेघालय	585
23	मिजोरम	121
24	नागालैंड	351
25	ओडिशा	4,358
26	पुदुचेरी	245
27	पंजाब	4,846
28	राजस्थान	16,087
29	सिक्किम	225
30	तमिलनाडु	16,955
31	तेलंगाना	13,573
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	73
33	त्रिपुरा	1,182
34	उत्तर प्रदेश	23,379
35	उत्तराखंड	2,211
36	पश्चिम बंगाल	32,274

अनुबंध-II

"ई-श्रम प्लेटफॉर्म में सुधार" के संबंध में दिनांक 11.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3526 के भाग (क) से (ज) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 05.08.2025 तक गुजरात राज्य में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्लेटफॉर्म कामगारों का महिला-पुरुष पंजीकरण ब्यौरा।

क्र. सं	जिला का नाम	महिला	पुरुष
1	अहमदाबाद	1,009	3,227
2	अमरेली	58	78
3	आनंद	89	358
4	अरवल्ली	54	158
5	बनास कंथा	127	332
6	भरूच	217	506
7	भावनगर	153	370
8	बोटाड	45	99
9	छोटाउदेपुर	44	121
10	दाहोद	201	266
11	डांग	8	8
12	देवभूमि द्वारका	49	78
13	गांधीनगर	86	353
14	गिर सोमनाथ	37	194
15	जामनगर	98	196
16	जूनागढ़	88	230
17	कच्छ	128	290
18	खेड़ा	104	197
19	महेसाणा	148	235
20	महिसागर	63	246
21	मोरबी	64	159
22	नर्मदा	12	54
23	नवसारी	66	233
24	पंचमहल	136	362
25	पाटन	62	191
26	पोरबंदर	35	181
27	राजकोट	253	734
28	साबर कंथा	82	207
29	सूरत	775	2,044
30	सुरेंद्रनगर	105	325
31	तापी	27	62
32	वडोदरा	416	1,463
33	वलसाड	79	289

******